

9/4/25

वकील अपीलान्त अनु। अपीलान्त व
अधिवक्ता अपीलान्त के न्यायालय की ओर
से बार-बार आवेजे लगाई गई लेटिन
उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आये।
अतः उक्त अपील अदम इजरी, अदम
पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली
फिलाल शुमार होउर नम्बर से उम होउर
दारिजल दम्तर है।